न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 65/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/66)

कलवन्त सिह पुत्र श्री हरभजन सिह, जाति जट सिक्ख, निवासी अजनाला तहसील अजनाला, जिला अमृतसर हाल 17 ए.एस. श्रीविजयनगर, तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक।
2. हंसराज पुत्र बृजलाल जाति जाट, निवासी कुपली, तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)
3. ग्राम पंचायत कुपली जरिये संरपच,पंचायत समिति अनूपगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री जगदीश शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. बालकिशन शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 18.07.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ) श्रीविजयनगर के मुकदमा नं. 28/12 निर्णय दिनांक 03.12.2012 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 03.12.2012 विरूद्व अपील पेश कर निर्णय दिनांक 03.12.2012 व ग्राम पंचायत कुपली का आदेश दिनांक 05.12.2012 इन्तकाल संख्या 183 को निरस्त कर अपीलान्ट व मातहत अदालत मे पेंश अन्य वारिसो के नाम इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने का अनुतोष चाहा है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स के निमित नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट के दादा श्री आशा सिह के चक 17 ए.एस.तहसील विजयनगर के मुरब्बा नं. 228/470

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के किला नं. 1 ता 25 में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी, जिसमें 20 बिघा भूमि का बेचान मृतक जसवन्त कौर द्वारा बृजलाल, विद्या देवी, हंसराज व हरीराम के नाम हुआ तथा 4 बिघा 10 बिस्वा भूमि किला नं. 21 ता 25 में शेष रही, जिसकी कूटरचित वसीयत 12.04.1990 को रेस्पोडेन्ट हंसराज ने बनाकर अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवाया तथा तहसीलदार विजयनगर ने दिनांक 03.12.2012 को रेस्पोडेन्ट नं. 2 के नाम इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट की दादी श्रीमती जसवन्त कौर का देहान्त 1997 में हुआ, 15 वर्ष बाद मे वसीयत पेश कर रेस्पोडेन्ट नं. 2 द्वारा अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवाना अपने आप मे संदिग्ध है। अपीलाधीन भूमि जसवन्त कौर की स्वअर्जित भूमि नही थी, बल्कि उनके पति आशा सिह पुत्र केशर सिह, के नाम से थी। जसवन्त कौर के अलावा अन्य वारिसान का हक हिस्सा है। जसवन्त कौर अपने हिस्से तक की वसीयत कर सकती थी। चूंकि जसवन्त कौर ने 20 बीघा भूमि का बेचान पूर्व मे कर दिया था। अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट ने अपना ऐतराज पेश किया व जायज वारिसानो का हवाला दिया था। जहा वसीयत का विवाद हो सक्षम सिविल न्यायालय से निर्णय करवाया जाने का आदेश दिया जाना चाहिए, जो नही दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर मातहत अदालत का आदेश दिनांक 03.12.2012 व पंचायत का आदेश दिनांक 05.12.2012 इन्तकाल संख्या 183 को निरस्त कर अपीलान्ट व मातहत अदालत में पेश अन्य वारिसो के नाम इन्तकाल दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने अपनी अपील में समस्त पक्षकारो को पक्षकार नही बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में जिन पक्षकारो के निमित नोटिस जारी हुये है उन्हे इस अपील में पक्षकार ही नही बनाया गया है। समस्त पक्षकारो के अभाव में यह अपील चलने योग्य नही है। अतः अपील इसी आधार पर खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुये उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हस्तगत प्रकरण में भूमि जसवन्तकौर पत्नी आशासिह जाति जटसिख द्वारा दिनांक 12.04.1990 को हंसराज पुत्र बृजलाल जाति जाट के पक्ष मे वसीयत निष्पादित की जानी बताया है, जो नोटेरी सत्यापित वसीयत है जसवन्तकौर की मृत्यु दिनांक 28.05.1997 को होनी दस्तावेजात में प्रतिवेदित है, जसवन्तकौर की मृत्यु होने के 15 साल बाद तहसीलदार श्री विजयनगर को वसीयत अनुसार इन्तकाल किए जाने बाबत प्रार्थना पत्र हंसराज पुत्र बृजलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजात के अवलोकन से पाया कि वसीयत मे वर्णित भूमि जसवन्तकौर की स्वअर्जित भूमि नही है, जिस पर प्रथम दृष्ट्या वसीयत किए जाने का अधिकार जसवन्तकौर का नही बनना पाया है। साथ ही हंसराज पुत्र बृजलाल, जसवंतकौर के परिवार का सदस्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो जसवंतकौर के समस्त जायज वारिसान की जांच की गई है व न ही उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है। उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिनूकूल नही पाया गया है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2012 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में उक्तानुसार वर्णित समस्त बिन्दुओ की विधिवत जांच व हितबद्व पक्षकारान की सुनवाई की जाकर नए सिरे से नियमानुकूल निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर